ORDER SHEET 928-2016Rct

THECOURT------

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
11-01-17	राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार उप0 आरोपी मोनू उर्फ कुलवंत सिंह गोहद जेल से मय जेल वारंट पेश की ओर से अधि0श्री के0पी0राठौर उप0 प्रकरण आज उर्पापण तर्क हेतु नियत है। उर्पापण पर उमयपक्षो को सुनागया। प्रकरण का अवलोकन से दर्शित हैिक आरोपी के विरुद्ध भादस की धारा 363,366ए के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गयाहैं अभियोगपत्र एंव संलग्न दसतावेजों से प्रथम दृष्ट्या आरोपी पर अरोपित अपराध भादस की धारा 363,366ए में आता है। भादस की धारा 363,366ए के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रस्तुत प्रकरण द0प्र0स0की धारा 209 के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मिण्ड की ओर सादर उपार्पित किया जाता है। आरोपी मोनू उर्फ कुलवंत निरोध में है अतः उसके जेल वारंट पर इस आशय की टीप अंकित की जाये कि प्रकरण को उर्पापित कर दिया गया है। अतः आरोपी को आगामी दिनांक 24 /1/17 को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के समक्ष उपस्थित रखा जावे। प्रकरण के उर्पापण की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं हैं। पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे। प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु दिनांक 24/1/17 को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के पेश हो। सही/— प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद	CAN SHALL A